

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्रालियर म0प्र०

दि 13.5.9 प्रिमियम

- 1- श्रीमती निकिता पति गोपाल बसल, अधिकृत विधिवत अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु के द्वारा दिनांक 21/11/2012 को दिए गए दस्तावेज़ का दुनिया का दूसरा दस्तावेज़।
- 2- श्रीमती सुशीला पति ओमप्रकाश बसल, अधिकृत विधिवत अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु के द्वारा दिनांक 21/11/2012 को दिए गए दस्तावेज़ का दूसरा दस्तावेज़।

दोनों निवासी— प्लाउडन रोड महुं जिला इन्दौर

.....निगरानीकर्ता

बनाम


म0प्र० शासन

.....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यन्त विनम्रता से अर्ज हैं कि निगरानीकर्ता महिलाएँ हैं, बिना विधिक सूचना के मूल न्यायालय याने अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु ने अपने राजस्व प्रकरण क. 41/ब-121/12-13 में आज्ञा दिनांक 21/11/2012 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएँ जो कार्यवाही की हैं वह विचाराधीकार रहित हैं, विधि के विपरित हैं मनमानी हैं। उक्त कार्यवाही में हम निगरानीकर्ता की भूमियों के सर्वे नंबरो का उल्लेख नहीं हैं। किसी अन्य सर्वे नंबरो का उल्लेख कर हम दोनो पृथक पृथक भूमि स्वामी के विरुद्ध एक ही प्रकरण दर्ज कर समुचित सुनवाई ना कर मनमाने तौर पर आज्ञा दी हैं जो व्यर्थ हैं, विधि से शुन्य हैं। हम निगरानीकर्ता ने विधिवत अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु के न्यायालय में अपनी भूमियों के संबंध में धारा 172(1) म.प्र. भू.रा.सं. मुजब व्यपर्वत्न बाबद आदेश प्रस्तुत किया हैं जिसमें विभिन्न विभागो से अभिमत भी प्राप्त हो चुके हैं। यह सब न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु की जानकारी में होते हुए एक विविध प्रकरण जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 41/बी-121/2012-13 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 21/11/2012 द्वारा रुपये 7,86,000/- की एकीकृत शास्ती निगरानीकर्ता के उपर अधिरोपित की गई उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर एक अपील श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय इन्दौर के यहां पेश की जो प्रकरण क्रमांक राजस्व अपील क्रमांक 10/2013-14/अपील पर दर्ज होकर हमारी विधिक अपील पूर्ण स्वीकार करना थी और मूल न्यायालय की कार्यवाही अपास्त करना थी व मूल न्यायालय का प्रकरण छाप करना था ऐसा ना करने में अपर कलेक्टर महोदय इन्दौर ने गंभीर त्रुटि की हैं। अतः



पूर्ण मामला अनुविभागीय अधिकारी महोदय महु का अपास्ती बाबद व उतने पूर्ता
दुरुस्ती बाबद अपर क्लेक्टर महोदय इन्दौर के आदेश में दुरुस्ती बाबद यह निगरानी
अर्ज निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक अंदर अवधि पेश हैं :-

R. 1359-PBR/14

उदार

स्थान तथा दिनांक	निकिल / शम्भव कायंबाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
18/6/14	<p>आवेदक उमिमाषक स्वयंना उपरोक्त अनुपस्थिति। लैला वार पुडार लग्नाची गायी। कोई उपस्थिति नहीं। आवेदक उमिमाषक की अनुपस्थिति मे प्रदरण अदम पैरवी मे इवारिज किमा जाता है।</p> <p style="text-align: right;">— अदम</p>	